(C116)

109(182)

17555/12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 945817

17 JUL 2012

34

एडवोकेट

सदर तहसील लखनऊ

विक्रय मूल्य –5,34,800/–रुपया

मालियत– 5,33,000/–रुपया

स्टाम्प –37,500/–रुपया

परगना – बिजनौर

–: लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण :–

1– भूमि का प्रकार : कृषि

2– परगना : बिजनौर

3– ग्राम : कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ

Naval Kishore

अमित श्रीवास्तव

वापस करने ... रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ...

रुपये पच्चीस हजार रुपये

12500

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 659261

18 SEP 2012

4–	सम्पत्ति का विवरण	: भूमि खसरा संख्या – 2178 का भाग
5–	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6–	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.0820 हेक्टेयर
7–	सड़क की स्थित	: मुख्य रायबरेली रोड से 500 मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।
8–	अन्य विवरण	: सामान्य
9–	प्रतिफल की धनराशि	: 5,34,800/–रूपया

Nawal Kishore

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 659262

18 SEP 2012

10- सहकारी आवास से सम्बन्धित नहीं है।

- : चौहद्दी : -

पूरब	-	खसरा संख्या - 2177
पश्चिम	-	खसरा संख्या - 2179
उत्तर	-	चकरोड
दक्षिण	-	नाली

विक्रेता का विवरण :-

श्री भगवान पुत्र स्व0 कन्हई लाल निवासी - बाबूखेड़ा मजरा ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ ।

.... प्रथम पक्ष/विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z-621121

11 SEP 2012

क्रेता का विवरण : -

गर्व बिल्डटेक प्राइवेट लि0 (Garv Buildtech Pvt. Ltd.) रजि0 आफिस - 10, एल0एस0सी0, कालका जी, नई दिल्ली - 110019 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी (through its board resolution dated 15.11.2010) नन्द किशोर पुत्र श्रीराम, ए-1, 103, प्रथम तल, ईस्टर्न हाईट, न्याय खण्ड-3, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद (उ0प्र0)

.... द्वितीय पक्ष/क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 621122

11 SEP 2012

– : विक्रय विलेख : –

मनकि **श्री भगवान पुत्र स्व0 कन्हई लाल निवासी – बाबूखेड़ा मजरा ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ** (विक्रेता) के है।

जो कि मैं विक्रेता कृषि भूमि आराजी खसरा संख्या – 2178 रकबा 0.2460 हेक्टेयर **में से अपना सम्पूर्ण अंश** 0.0820 **हेक्टेयर स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ** का कामिल व काबिज हैं जो कि विक्रेता की पैत्रक सम्पत्ति है और जो राजस्व अभिलेखों में मेरे नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 679038

11 SEP 2012

विक्रेता की उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना अन्तर्गत धारा 4(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 दिनांक 04.12.2010 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है विक्रेता को अधिग्रहण कार्यवाही के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं है किन्तु चूंकि विक्रेता को रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है एवं अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने व प्रतिकर भुगतान में काफी समय लगने की सम्भावना है अतः विक्रेता ने क्रेता को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए भूमि का विक्रय करना तय किया है कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में मात्र क्रेता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार

होगा। विक्रेता द्वारा भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत व अधिग्रहण प्राप्त होने वाले प्रतिकर पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा ।

उपरोक्त भूमि हर प्रकार के रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, मुकदमा आदि से पूर्णतया बरी पाक है। जिसे विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना व कानूनी हक हासिल हैं। अब बजरूरत खुद हम अपनी खुशी व रजामन्दी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के अपनी उपरोक्त कृषि भूमि मजकूरेबाला को बिला छोड़े किसी चीज हक कुल या जुज के जो कुछ भी हमें उक्त विक्रयशुदा भूमि में प्राप्त है, उन सबके बकीमत मुबलिग **5,34,800/–रूपया (पांच लाख चौतीस हजार आठ सौ रूपया)** जिसके आधे मुबलिग **2,67,400/–रूपया (दो लाख सरसठ हजार चार सौ रूपया)** होते हैं, में बदस्त **"गर्व बिल्डटेक प्राइवेट लि0"** द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी नन्द किशोर पुत्र श्रीराम के हाथ फरोख्त कतई किया यानी बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य कब्ल तहरीर बैनामा हाजा क्रेता मजकूर से रूबरू गवाहान हस्ब तफसील जैल वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रयशुदा मालिकाना भूमि पर बजाय कब्जा खुद के क्रेता मजकूर का बखूबी अपने समान करा दिया, अब मेरा व मेरे वारिसान या कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विक्रयशुदा जायदाद या उसके किसी अंश कुल या जुज में शेष नहीं रहा अगर कोई शख्स निस्बत विक्रयशुदा जायदाद या जरसमन के क्रेता मजकूर से हक जताये या दावा करें तो उसका हक व दावा बरूए तहरीर बैनामा हाजा बातिल व नाजायज होगा और अगर किसी शख्स की हकदारी या उज्रदारी या दावेदारी से विक्रयशुदा भूमि कुल या जुज कब्जे क्रेता से निकल जावें या कब्जा न मिले या मिलकियत या हकीयत हमारी करार न पाई या अन्य कोई विवाद निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में

Nand kishore

क्रेता व वारिसान क्रेता को हक हासिल होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा के मुझसे या मेरे वारिसान या दीगर जायदाद चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवें, कोई मुकाम उज्र न होगा।

आराजी मुबइया लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की योजना में अधिग्रहीत की गयी है। आराजी मुबइया पर कोई पेड़, कुंआ, बोरिंग व निर्माण आदि नहीं है। आराजी मुबइया **रायबरेली रोड से 1 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित** है। आराजी मुबइया नगर निगम सीमा के बाहर हैं।

आराजी मुबइया कृषि भूमि हैं। ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की बाजारू मालियत **65,00,000/-** रूपया प्रति हेक्टेयर की दर निर्धारित है तथा आराजी मुबइया के 50 मीटर व 200 मीटर की त्रिज्या में कोई भी निर्माण आदि नहीं है।

रूपया **65,00,000/-**प्रति हेक्टेयर की दर से विक्रीत **रकबा 0.0820 हेक्टेयर** की मालियत मुबलिग **-5,33,000/-रूपया** होंती है। चूँकि विक्रय मूल्य मालियत से अधिक है। अतः विक्रय मूल्य पर संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग -5 की अधिसूचना संख्या - स0वि0क0नि0-5/2756/11-2008-500(165)/2008 दिनांक 30.06.2008 कें अनुसार 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क **37,500/-रूपया** का अदा किया जा रहा है।

विक्रेता व क्रेता दोनों अनूसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। आराजी मुबइया राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। विंक्रेता व क्रेता स्थाई/अस्थाई पता उपरोक्त हीं हैं।

उक्त आराजी का पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है।

विक्रय पत्र

534,800.00 /	**533,000.00**	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री श्रीभगवान श्रीभगवान

पुत्र श्री स्व0 कन्हई लाल

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी बाबूखेडा कल्ली पश्चिम लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/9/2012 समय 2:23PM

वजे निवन्धन हेतु पेश किया।

श्रीभगवान

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी. सी. सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
25/9/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री श्रीभगवान
पुत्र श्री स्व0 कन्हई लाल
पेशा कृषि
निवासी बाबूखेडा कल्ली पश्चिम लखनऊ

श्रीभगवान

क्रेता

श्री गर्व वि0 प्रा0 लि0 द्वारा नन्द किशोर
पुत्र श्री श्रीराम
पेशा नौकरी
निवासी इन्दिरापुरम गाजियाबाद

Nandkishore

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री **अनवर अली**

पुत्र श्री **सादिक अली**

पेशा **व्यापार**

निवासी **कल्ली पश्चिम लखनऊ**

3201082 3201

व श्री **फैजान अहमद**

पुत्र श्री **मो0 अकरम**

पेशा **व्यापार**

निवासी **पाटा नाला लखनऊ**

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

उप निबन्धक लखनऊ सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी. सी. सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
25/9/2012

यह कि यदि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी आदेश से विक्रेता का विक्रीत नम्बर में रकबा बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता बढ़ा हुआ रकबा क्रेता को ही इसी दर पर विक्रय करने के लिए बाध्य होगा।

प्रस्तुत लेखपत्र में उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गए कागजात व उनके द्वारा बताये गए तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहो द्वारा की जा रही है।

यह कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मात्र क्रेता या क्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा। विक्रेता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्राप्त करने का हक न होगा विक्रेता या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति भविष्य में उक्त भूमि के अधिग्रहण व प्रतिकर से सम्बन्धित कोई दावा/मुकदमा किसी न्यायालय /अधिकारी/प्राधिकरण के समक्ष नहीं करेगा।

लिहाजा यह विक्रय विलेख अपनी खुशी व रजामन्दी से पूर्ण होशों हवाश में बिना किसी जोर दबाव के स्वस्थ्य मस्तिष्क के रूबरू गवाहन लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

-: तफसील वसूलयाबी जरसमन :-

विक्रेता ने क्रेता से मुबलिग **5,34,800/-रूपया (पांच लाख चौतीस हजार आठ सौ रूपया)** जरिये चेक संख्या 000495 दिनांकित 25.09. 2012 जारीकर्ता **एच0डी0एफ0सी0बैंक, लखनऊ** द्वारा प्राप्त किया।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य **5,34,800/–रूपया (पांच लाख चौतीस हजार आठ सौ रूपया)** विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया। अब उपरोक्त आराजी के बाबत कुछ भी धनराशि पाना शेष नहीं है ।

लखनऊ/दिनॉक
25.09.2012

हस्ताक्षर विक्रेता

गवाह :1 अनवर अली

पता S/o साहिब अली
काज़ी परिचय लखनऊ

हस्ताक्षर क्रेता

PAN NO–

गवाह :2 [illegible]

पता S/o [illegible]
[illegible]
[illegible]

टाइपकर्ता
आकाश दीप वर्मा

मसविदाकर्ता
ब्रजेश कुमार पाण्डेय
एडवोकेट
सदर तहसील, लखनऊ

मानचित्र

भूमि खसरा संख्या - 2178 का मिनजुमला स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ

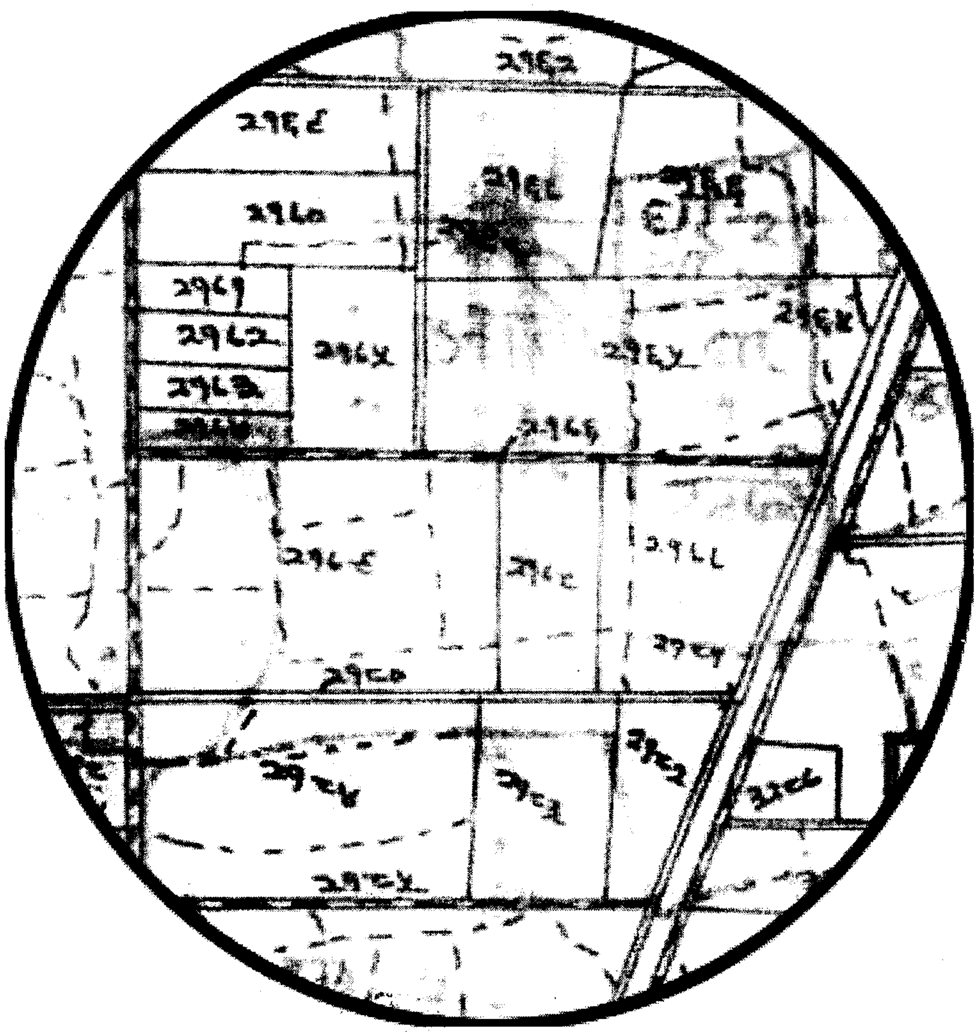

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

आज दिनांक **25/09/2012** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **14766**

पृष्ठ सं. **9** से **30** पर कमांक **17555**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी .सी सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

25/9/2012